

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 134 / 2014

दायर दिनांक 14.07.2014

जगदीशचन्द्र	उनवान	मांगीलाल
बनाम		

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक: 14.06.2023

—:निर्णय:—

पत्रावली मिसल तलवी के प्रार्थना पत्र पर सिगेह से तलब हुई। वादी व वादी अधिवक्ता श्री सुरेश बापना हाजिर। हाजिर होकर निवेदन किया कि वाद पत्र मे कार्यवाही नही चाहते है। आदेशिका पर अंकन कर हस्ताक्षर किये व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 91/2014 में जारी स्थगन निरस्त फरमाया जावे। हमने मूल वाद व प्रार्थना पत्र 91/2014 का अवलोकन किया। वादी वाद पत्र में कार्यवाही नही चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र 134/2014 में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। प्रार्थना पत्र 91/2014 निर्णय दिनांक 12.07.2017 से जारी निर्णय मूल वाद में कार्यवाही ड्रॉप होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।



(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

